

व्यस्त है। अतः इल्लवा होकर पत्रावली
आइन्दा 7-6-24 को पेश हो। 4

पत्रावली आज पेश हुई।


वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।

आज अदालत समय में रूक-रूक कर तीन बार बार
आवाजे दिलवाये जाने के बावजूद वादीगण एवं उनके
वकील में से कोई उपस्थित नहीं हुए।

अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज लगाई गई।
फिर भी इनमें से कोई हाजिर नहीं हुए। इससे जाहीर
होता है कि वादीगण एवं उनके वकील इस प्रकरण में
कोई रुची नहीं ले रहे हैं।

अतः राजस्व आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 सीपीसी
के तहत राजस्व आवेदन अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।


सहायक अधिकाारी
(SDO) धौसीमन्ना बाड़मेर